

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रामपुर-शाहबाद रोड (एम.डी.आर.-53) किमी 14.531 की दांयी पटरी पर गाटा सं 450, ग्राम पटवाई में पेट्रोल/डीजल पम्प का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर याचक विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अर्थात् वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथासंशोधित 1988 की धारा-2 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

दिनांक -

स्थान - रामपुर।

(राम)
(हित सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रामपुर

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक.
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर।